<u>मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी</u>

प्रकीर्ण वाद संख्या–३६/२०१९ (एम.ए.सी.पी. सं. ६८/२०१९)
श्रीमती शान्ति बाई पाल बनाम महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा आदि
<u>०३.०७.२०२०</u>

प्रार्थिया द्वारा यह प्रार्थनापत्र एम.ए.सी.पी. सं. ६८/२०१९ में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक १४.१२.२०१९ में पारित एवार्ड रु. ५०,०००/– प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया ने अपने आधार कार्ड व पास बुक की छाया प्रति दाखिल की हैं तथा अपने शपथपत्र में प्रार्थिया ने यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई अपील या रिवीजन विचाराधीन नहीं है और न ही कोई स्थगन आदेश है। मूल पत्रावली तलब हुयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस प्रकरण में दिनांक – १४.१२.२०१९ को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के अनुसार ५०,०००/– रु. का एवार्ड पारित किया गया, जिसमें से २५,०००/–रूपये प्रार्थिया/याचिया श्रीमती शान्ति बाई के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में तीन वर्ष के लिये निवेशित किया जाना है तथा रु. २५,०००/– उसे नकद प्रदान किये जाना है। कार्यालय की चैक पंजिका के क्रमांक २३ पर मुब. ५०,०००/– रु. पंजाब नेशनल बैंक में चेक के माध्यम से जमा कराये गये हैं।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झॉसी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त प्रकरण में जमाशुदा धनराशि मुब. ५०,०००/–रु. में से २५,०००/–रु. व उक्त धनराशि पर अब तक अर्जित समस्त ब्याज की धनराशि प्रार्थिया श्रीमती शान्ति बाई के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००६३६३ IFSC– कोड SYNB ०००९२३५ में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से स्थानान्तरित करें तथा २५,०००/–रु. उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में ३ वर्ष के लिये निवेशित करें। तदनुसार अनुपालन आख्या अन्दर तीन दिन प्रेषित की जाये तथा उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. न्यायाधिकरण में शीघ्र दाखिल करें। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.03 13:52:53 IST
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI